Volume: 1 Issue: 16 Pages: 221-222

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 15/November/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(16):221-222 Accepted: 09/December/2022

आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का स्वरूपः एक अध्ययन

*[1]जयंत राउत

*[1]सहायक प्राध्यापक, श्री गणेष महाविद्यालय, कुंभारी ता.जि. अकोला, महाराष्ट्र, भारत।

सारांश

आतंकवादी कार्यो एवं तरीकों से राज्यों की सामाजिक एवं संवैधानिक व्यवस्था तथा राज्यक्षेत्रीय अखण्डता एवं सुरक्षा का भय बना रहता है । फिर भी, आतंकवाद की उपर्युक्त परिभाशा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाशा नहीं कही जा सकती। बहुत से अवसरों पर किसी राज्य की सरकार किसी विषेश कृत्य को इसलिए आतंकवादी कृत्य मान लेती है क्योंकि यह उसके हित को प्रत्यक्ष रूप सें प्रभावित करने लगती है, तब उस कृत्य को उन लोगों व्दारा न्यायोचित ठहराया जाता है जो कृत्यों को कारित करते हैं और विषेश रूप से उन मामलों में जहॉ ये कृत्य राश्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लडने वाले व्यक्तियों व्दारा या उन व्यक्तियों व्दारा कारित किये जाते हैं जो आत्मनिर्णय ;मसि. क्मकमतउपदंजपवदद्ध के अधिकार को सुनिष्चित करने के लिये संघर्श करते हों। इस प्रकार से आंतकवाद के विधिमान्य एवं अविधिमान्य प्रयोग तथा सही तरीके से किये गये संघर्श के बीच सीमा रेखा खींचना बहुत कठिन हैं। कोई एक व्यक्ति जो एक राज्य के लिए आतंकवादी है वही दूसरे राज्य के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता हैं। उपरोक्त ने आतंकवाद की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किसी परिभाशा की रचना को कठिन बना दिया है।

मूल शब्दः अन्तर्राश्ट्रीय आतंकवाद, राज्यिक आतंकवाद, सुरक्षा परिशद

जब आतंक का व्यवस्थित प्रयोग कतिपय उददे्ष्यों को, विषेश रूप से राजनैतिक उददे्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किया जाता है तब सामान्यतया उसको आतंकवाद कहा जाता है। उपर्युक्त परिभाशा से यह विदित होता है कि आतंकवादी स्पश्ट रूप से किसी राज्य को धमकियों के अधीन रखते है। आतंकवादी कार्यो एवं तरीकों से राज्यों की सामाजिक एवं संवैधानिक व्यवस्था तथा राज्यक्षेत्रीय अखण्डता एवं सुरक्षा का भय बना रहता ह। फिर भी, आतंकवाद की उपर्युक्त परिभाशा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाशा नहीं कही जा सकती। बहुत से अवसरों पर किसी राज्य की सरकार किसी विषेश कृत्य को इसलिए आतंकवादी कृत्य मान लेती है क्योंकि यह उसके हित को प्रत्यक्ष रूप सें प्रभावित करने लगती है, तब उस कृत्य को उन लोगों व्दारा न्यायोचित ठहराया जाता है जो कृत्यों को कारित करते हैं और विषेश रूप से उन मामलों में जहॉ ये कृत्य राश्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लडने वाले व्यक्तियों व्दारा या उन व्यक्तियों व्दारा कारित किये जाते हैं जो आत्मनिर्णय;मसि.क्मिकमतउपदंजपवदद्ध के अधिकार को सुनिष्चित करने के लिये संघर्श करते हों। इस प्रकार से आंतकवाद के विधिमान्य एवं अविधिमान्य प्रयोग तथा सही तरीके से किये गये संघर्श के बीच सीमा रेखा खींचना बहुत कठिन हैं। कोई एक व्यक्ति जो एक राज्य के लिए आतंकवादी है वही दूसरे राज्य के लिए स्वतंत्रता सेनानी होता हैं। उपरोक्त ने आतंकवाद की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किसी परिभाशा की रचना को कठिन बना दिया है।

आतंकवाद या तो किसी राज्य के अन्दर अर्थात् राज्यिक या आंतरिक;क्वउमेजपबद्ध हो सकता है या अंतर्राश्ट्रीय। अंतर्राश्ट्रीय आतंकवाद में वे कृत्य सम्मिलित होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक राज्य षामिल होते हैं अर्थात् जहॉ पर अपराध कारित करने वाले एवं पीडित व्यक्ति भिन्न–भिन्न राज्यों के नागरिक होते हैं या जहॉ पर उक्त कृत्य पूर्ण अथवा आंषिक रूप में एक राज्य से अधिक राज्यों में पूरे किये जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्तर्राश्ट्रीय आतंकवाद तब होता है, जब एक से अधिक राज्यों का हित प्रभावित होता है। किन्तु राज्यिक अथवा आंतरिक आतंकवाद किसी, राज्य की सीमाओं तक ही सीमित होता है। राज्य राज्यिक आतंकवाद को उनकी दाण्डिक विधि का उल्लंघन मानते हैं और इसीलिए अपनी आन्तरिक विधि के प्रयोग करने में नहीं हिचकते। यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि आतंकवाद, चाहे वह राज्यिक हो या अंतर्राश्ट्रीय, एक दाण्डिक अपराध है। आतंकवाद को कोई विषेश प्रारूप नहीं होता। कोई ऐसा कार्य, जो कि किसी विषेश व्यक्ति, या व्यक्तियों के समूह या आम जनता के भितर भय उत्पन्न करने के आषय से किया जाता है तो वह आतंकवाद का एक प्रकर होता है। इस प्रकार से, इसमें इच्छापूर्वक कार्य जिसमें मृत्यु कारित हो, षारीरिक उपहति कारित हो या आम जनता की

***Corresponding Author:** जयंत राउत

स्वंत्रता बाधित हो को सम्मिलित किया जा सकता है। सामान्य अर्थ में इच्छापूर्वक विनाष सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना या सार्वजनिक उददे्ष से रखी सम्पत्ति को नश्ट करना, कोई ऐसा इच्छापूर्वक कार्य जो आम नागरिकों के जीवन में संकट या खतरा उत्पन्न करे, हथियारों, गोला बारूद एवं विस्फोटकों का निर्माण एवं वितरण इस उददे्ष से किया जाए कि उससे किसी देष में उपरोक्त वर्णित अपराध कारित किया जाए, आतंकवाद है। वर्तमान समय में अन्तर्राश्ट्रीय आतंकवाद का सर्वाधिक सामान्य स्वरूप हैं विमान अपहरण, राजनयिक मिषन पर आक्रमण, बंधक बनाना और अन्तर्राश्ट्रीय संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के विरूध्द अपराध करना। आतंकवाद का प्रमुख उददे्ष न केवल विषेश वयक्ति या व्यक्तियों को मारना या नुकसान पहुॅचाना बल्कि आम जनता के बीच भय एवं आतंक उत्पन्न करना है। इस तरह से, यह अन्य उपराधों के उददे्ष्यों से भिन्न स्वरूप का है।

आतंकवाद मानव प्राणियों के लिए दुःख एवं पीडा लाता है। यह अनंतिक एवं अमानवीय कृत्य होने के कारण इससे निर्दोश लोगों की स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों का हमेषा उल्लंघन होता है। अतः आतंकवाद पीडित व्यक्तियों के मूलभूत मानव अधिकारों का हनन करता है, विषेश रूप सें इससे प्राण के अधिकार, षारिरिक निश्ठा के अधिकार;त्पहीज वि चेलेपबंस प्दजमहतपजलद्ध एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होते हैं। भारी संख्या में निर्दोश व्यक्ति, जिसमें महिलाएॅ, वृध्द एवं षिषु षामिल होते हैं, आतंकवादियों व्दारा किये गये हिंसा एवं भय के निरूददे्ष्य कृत्यों से या तो मार डाले जाते हैं, या फिर उनका सामूहिक नरसंहार कर दिया जाता है या विकलांग बना दिया जाता है। इस प्रकार के आतंकवादी कृत्यों को किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे व्यक्तियों के सबसे आवष्यक एवं मूलभूत मानव अधिकार अर्थात् प्राण के अधिकार पर प्रष्नचिन्ह लगा दिया है। महासभा ने आतंकवाद के कृत्यों को सभी रूपों में विष्वव्यापी वृध्दि पर बारम्बार गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इन कृत्यों से मानव जीवन खतरे में पड गया है और निर्दोश लोगों की जाने चली जाती हैं, तथा मूलभूत स्वतंत्रतायें संकटापन्न हो जाती हैं और मानव की गरिमा का गम्भीर रूप से–हास होता है।

सुरक्षा परिशद ने अपने संकल्प संख्या 1377 जो 12 नवम्बर, 2001 को अंगीकार किया गया उसमें यह उद्घोशणा की कि आतंकवाद 21 वीं सदी में अन्तर्राश्ट्रीय षांति एवं सुरक्षा को गम्भीर खतरा तथा समस्त देषों एवं मानवता को एक चुनौती है।

आतंकवादी कृत्य एवं तरीके एक ओर तो उस सरकार को जो अतंकवाद से खतरा महसूस करती है उनको मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के गम्भीर उल्लंघन हेतु उत्तेजित करवाते हैं और दूसरी ओर, वही सरकार सुसंगत अंतर्राश्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों के अनुसार व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में कठिनाई पूर्ण स्थिति में आ जाती है। उपर्युक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आंतकवाद एवं मानव अधिकार उल्लंघन के बीच एक अटूट सम्बन्ध है। आतंकवाद मानव अधिकारों की अवधारणा के लिए खतरा है और यह संयुक्त राश्ट्र के गठन को और व्यक्तियों के जीवन एवं गरिमा को निर्मूल कर देता है।

यह दुर्भाग्य है कि मानव अधिकारों की अवधारणा को आतंकवाद के संदर्भ में मानव अधिकार निकायों व्दारा गम्भीरता से नहीं लिया गया, यद्यपि अंतर्राश्ट्रीय आतंकवाद की आम समस्या पर महासभा ने 1972 से ही निर्दोश लोगों के जीवन के लिए खतरा और उनके प्राण लेने वाले अथवा मूलभूत स्वतंत्रताओं को परिसंकट में डालने वाले अंतर्राश्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था और आतंकवाद के उन रूपों एवं हिंसा के कृत्यों का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया था जो दुःख, निराषा, क्षोभ एवं हतोत्साह उत्पन्न करते है। मानव अधिकार विष्व सम्मेलन;वियनाद्ध के बाद 1993 में तीसरी समिति की सिफारिष पर महासभा ने मानव अधिकार एवं आतंकवाद;भ्नउंद त्पहीजे ंदक ज्मततवतपेउद्ध पर संकल्प अंगीकार करना प्रारम्भ किया।

निष्कर्ष

आतंकवाद मानव प्राणियों के लिए दुःख एवं पीडा लाता है। यह अनंतिक एवं अमानवीय कृत्य होने के कारण इससे निर्दोश लोगों की स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों का हमेषा उल्लंघन होता है। अतः आतंकवाद पीडित व्यक्तियों के मूलभूत मानव अधिकारों का हनन करता है, विषेश रूप सें इससे प्राण के अधिकार, षारिरिक निश्ठा के अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित होते हैं।

संदर्भ सूची

1. Human Right and Antterrorism Law in Incia, Dr. Kavita Singh
2. Protection and Promotion of Human Right in India, Dr. Sharma, Jaiswal & Singh.
3. Personal Liberty and Human Right, Dr. Chintamani Rout
4. Human Right in Constitutional Law, D.D. Basu
5. Freedom and of Speech and Expresssion, Kushkalra
6. Human Right Trafficking of Women and Children Legal and Policy Framework, Usha Dandon & Sidharth Luthra.
7. Law Relating to Socio-Economic Offences, Nuzhat Praveen Khan.
8. Law and Social Transformation, G.P. Tripathi.
9. International Organisation, H.O. Agrawal.